रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268543
SG-DL-E-16122025-268543

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 372
No. 384] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947 [N. C. T. D. No. 372

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

(संवर्ग नियंत्रण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

फा. सं. 09(41)/2022/सीसी/योजना/पार्ट फा0–1/13622.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68–डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा –

(i) इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में 'सांख्यिकी सहायक' के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते है; तथा

(ii) दिनांक 01 जून, 2012 की अधिसूचना सं0फा0 9(13)/2008/सीसी/योजना/पार्ट–VI-4304 द्वारा अधिसूचित इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में सांख्यिकी सहायक के पद हेतु भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुलग्नक –I

<u>अनुसूची</u>

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (35400–112400/–रुपये) में सांख्यिकी सहायक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	**सांख्यिकी सहायक**	
2	पदों की संख्या	:	503 **(2025)** *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	
3	वर्गीकरण	:	**सामान्य केन्द्रीय सेवा** अलिपिकीय, अराजपत्रित समूह–ख	
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (35400–112400/– रुपये)	
5.	क्या चयन पद है/गैर चयन पद	:	लागू नहीं	
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्षों से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) **6(क) निर्णायक विवरण:** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।	
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	**अनिवार्य**	
			योग्यताएं : (I) सांख्यिकी/प्रचालन अनुसंधान/गणितीय सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नात्कोतर उपाधि अथवा अर्थशास्त्र/गणित/वाणिज्य (स्नात्कोतर/स्नातक स्तर में सांख्यिकी एक विषय/पेपर सहित) में स्नात्कोतर उपाधि। टीप: उम्मीदवार जिन्होंने एक पेपर/विषय के रूप में सांख्यिकी उत्तीर्ण की है, जिसमें स्नातक/स्नात्कोतर स्तर पर मात्रात्मक पद्धति/तकनीक या लागत एवं सांख्यिकी/आधारभूत सांख्यिकी /व्यवसाय सांख्यिकी/सांख्यिकी	**अनुभव** : शून्य

			परिचय इत्यादि सम्मिलित है, भी पात्र होंगे।	
			वांछनीय	
			योग्यताएं : शून्य	**अनुभव** : शून्य
			योग्यता मानक टीप	**अनुभव मानक टीप**
			लागू नहीं	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं	
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	2 वर्ष	
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धति**	**प्रतिशत**
			7. सीधी भर्तीः 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टीप** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष क़ी अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी। क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 या समकक्ष में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरान्त प्रदत्त छह वर्षों की सेवा सहित। तथा (ख) कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वालों में से भरी जा सकेगी। टीपः प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।	**100**
11.	**यदि पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे**	:	**पदोन्नतिः–** लागू नहीं	

	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है		मानक टीप : लागू नहीं	
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** लागू नहीं	**विभागीय स्थायीकरण समिति** 1.अपर मुख्य सचिव (परिवहन)/ प्रधान सचिव (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (अध्यक्ष) 2.प्रधान सचिव/सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 3.विशेष/अपर सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) **टीप** :–यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति (सदस्य) के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	

टीप :

1. इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. वह व्यक्ति, जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

3. जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

देश बन्धु गुप्ता, निदेशक (पीईएस)

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 10th December, 2025

F.9(41)/2022/CC/Plg/PF-1/13622.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to-

(i) make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of 'Statistical Assistant' in various offices/ departments under this Government; and

(ii) cancel the Recruitment Rules for the post of Statistical Assistant in various offices/ departments under this Government notified vide notification F.No.9(13)/2008/CC/Plg./Pt.-VI-4304 dated 01st June 2012.

ANNEXURE-I

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Statistical Assistant, Planning Department, Govt. of NCT of Delhi in Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)

1.	Name of the Post	:	Statistical Assistant	
2.	No. of posts	:	503 (2025) *subject to variation dependent on work load	
3.	Classification	:	**General Central Service** Non Ministerial Non-Gazetted Group- B	
4.	Pay Level in the Pay Matrix	:	6 Remark: Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)	
5.	Whether Selection post/Non-Selection post	:	Not Applicable	
6.	Age Limits for Direct Recruits	:	Not exceeding 30 Years (relaxable for govt servants upto 5 yrs in accordance with instructions or orders issued by central govt.) 6(a) Crucial description The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority	
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	**Essential**	
			Qualification: (I) Post Graduate Degree in Statistics/ Operational Research/ Mathematical Statistics/ Applied Statistics or Post Graduate Degree in Economics/ Mathematics/	**Experience** : Nil

			Commerce (with Statistics as one of subject/papers in Post Graduation/Graduation level) Note: The candidates who have passed Statistics as one of the papers/subjects including Quantitative Method/ Techniques or Costing and Statistics/ Basic Statistics / Business Statistics/ Introduction to Statistics etc. at Graduation/ Post-Graduation level are also eligible	
			Desirable	
			Qualification: Nil	**Experience** : Nil
			Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**
			NA	NA
8.	Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	:	AGE : NA Edu. Qual : NA	
9.	Period of Probation, if any	:	2 years	
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	**Method**	**Percentage**
			7. Direct Recruitment: 100 percent by Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/ Union Territories- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment	100

			thereto on a regular basis in level 5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7) Note: The maximum age for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	
11.	In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	:	**Promotion:** Not Applicable **Standard Note:** NA	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Departmental Promotion Committee** NA	**Departmental Confirmation Committee** **Departmental Confirmation Committee** 1. Additional Chief Secretary (Transport)/ Pr. Secretary (Transport), Govt. of NCT of Delhi (Chairman) 2. Principal Secretary/ Secretary (Planning), Govt. of NCT of Delhi (Member) 3. Special/ Addl. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi (Member) **Note:-**The senior most member of the DCC shall act as chairperson in case the notified Chairperson happens to be junior to another member of DCC (Member)
13-	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	:	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

Notes:

1. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

2. No person, who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post: provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

3. Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
DESH BANDHU GUPTA, Director (PES)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.16 16:09:29 +05'30'